

प्रेषक,

यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय,
अपर सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय,द्वितीय
मीरजापुर।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा, माननीय जनपद न्यायाधीश,
मिर्जापुर।

विषय—आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि क्य किये जाने की अनुमति के सन्दर्भ में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी जनपद मिर्जापुर में अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय,द्वितीय के पद पर कार्यरत है।

प्रार्थी जनपद वाराणसी में आवास हेतु भूमि क्य करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा विक्रेतागण से मु 56,30,000 /रुपये में भूमि क्य किये जाने का एग्रीमेन्ट दिनांक-28.09.2020 को किया गया है। अनुबन्ध किये जाने की तिथि पर प्रार्थी द्वारा विक्रेतागण 1—श्रीमती सीता देवी को सेविंग एकाउन्ट/ सेलरी एकाउन्ट से जरिए चेक संख्या-748329 से मु 3,00,000/रुपये, 2—अजय प्रताप सिंह को जरिए चेक संख्या-748330 से मु 1,50,000/रुपये, व 3—विजय प्रताप को जरिए चेक संख्या-748331 से मु 1,50,000/रुपये कुल मु 6,00,000/रुपये (छ: लाख रुपये) बतौर अग्रिम धनराशि प्रदान किया जा चुका है। शेष धनराशि बैनामे के समय देय होगा।

प्रार्थी का विक्रेतागण से पूर्व से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी के न्यायालय में विक्रेतागण का कोई मुकदमा लम्बित नहीं है, न रहा है, न ही मेरे द्वारा पूर्व में विक्रेतागण से सम्बन्धित किसी मुकदमे का निस्तारण किया गया है।

सी०एल० नं० 25/एडमिन,(ए) दिनांकित जुलाई 13, 1998 के अनुसार वांछित सूचनायें इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। अतः श्रीमान्‌जी से ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी को भूमि क्य किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक-8.10.2020,

संलग्नक:

भवदीय,
Y Pandey
08/10/2020
(यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय,द्वितीय
मीरजापुर।